

केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बाज़ार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) प्रतिफल और संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में कमी आई। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई। वर्ष के दौरान सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) और अति-दीर्घकालिक प्रतिभूति निर्गम जारी रहा।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू ऋण का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को तीन माह तक की अवधि के लिए अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 कम सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के कारण वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार का बाज़ार उधार कम हो गया। रिज़र्व बैंक ने लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के तीन व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को गैर-विघटनकारी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया। केंद्र सरकार के लिए बाज़ार उधार का भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) वर्ष के दौरान 28 आधार अंकों (बीपीएस) तक कम हो गया। रोलओवर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से वर्ष 2024-25 के दौरान एसजीआरबी भी जारी किया।

VII.3 शेष अध्याय को तीन खंडों में व्यवस्थित किया गया है। खंड 2 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ वर्ष 2024-25 की कार्य-सूची के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। खंड 3 में वर्ष 2025-26 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है, इसके बाद अंतिम खंड में निष्कर्ष है।

2. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

VII.4 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण के समेकन के साथ-साथ जी-सेक बाज़ार में चलनिधि बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों को फिर से जारी करना (पैराग्राफ VII.5-VII.6);
- सहज तरीके से डिपॉजिटरी द्वारा जी-सेक के मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का विकास (पैराग्राफ VII.7);
- अस्थायी दर बचत बॉण्ड (एफआरएसबी) और सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीबी) योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.8); और

- अतिरिक्त भुगतान विकल्प प्रदान करके आरबीआई 'खुदरा प्रत्यक्ष' पोर्टल के यूजर इंटरफेस में और सुधार करना (पैराग्राफ VII.9)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.5 रिजर्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सकल बाज़ार उधार को ₹24.7 लाख करोड़ तक सफलतापूर्वक पूरा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.0 प्रतिशत कम था। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों के 118 निर्गमों (85.6 प्रतिशत) में से 101 पुनः निर्गम हुए, जबकि पिछले वर्ष में 149 निर्गमों (90.6 प्रतिशत) में से 135 पुनः निर्गम हुए थे। सक्रिय ऋण समेकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1.50 लाख करोड़ की बजटीय राशि के मुकाबले ₹1.47 लाख करोड़ की राशि के स्विच पूरे किए गए। इसके अलावा, प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से ₹1.18 लाख करोड़ की अल्पकालिक प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पूरी की गई।

VII.6 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न परिपक्वता समूह की प्रतिभूतियों चाहने वाले विभिन्न निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार के बाज़ार उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 3-वर्ष से 50-वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की प्रतिभूतियां जारी की गईं। बाज़ार से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाज़ार प्रथाओं के अनुरूप, 14-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति के स्थान पर वर्ष के दौरान 15-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति जारी करना शुरू किया गया। वर्ष के दौरान एसजीआरबी कुल ₹21,697 करोड़ (10-वर्ष की अवधि में ₹11,697 करोड़ और 30-वर्ष की अवधि में ₹10,000 करोड़) के लिए जारी किए गए।

VII.7 विभिन्न डिपॉजिटरी के डीमैट खाताधारकों के बीच स्टॉक एक्सचेंजों में निष्पादित अंतर-डिपॉजिटरी लेन-देन के निपटान की सुविधा के लिए, रिजर्व बैंक ने पहले एक विकसित वीएफटी मॉड्यूल शुरू किया। प्रक्रिया को सरल बनाने और

लोगों के हस्तक्षेप को हटाने के लिए, रिजर्व बैंक और डिपॉजिटरी के बीच प्रणाली को जोड़ते हुए एपीआई विकसित किया गया, जो अब विभिन्न डिपॉजिटरी के डीमैट खाताधारकों के बीच निष्पादित अंतर-डिपॉजिटरी व्यापार के निपटान के लिए डिपॉजिटरी के बीच जी-सेक के निर्बाध अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

VII.8 अस्थायी दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) [एफआरएसबी, 2020 (टी)] - परिचालन दिशानिर्देशों ने इन बॉण्डों के निर्गम और सर्विसिंग के संबंध में प्राप्तकर्ता कार्यालयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया। एफआरएसबी योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है और संशोधित दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

VII.9 आरबीआई का 'रिटेल डायरेक्ट' मोबाइल एप्लिकेशन 28 मई 2024 को खुदरा निवेशकों के लिए जी-सेक में निवेश की सुगमता और पहुँच में आसानी के लिए लॉन्च किया गया था। मोबाइल एप्लिकेशन ऐप के प्राथमिक बाज़ार और द्वितीयक बाज़ार मॉड्यूल के बीच निर्बाध पहुँच के लिए एकल साइन-ऑन सुविधा प्रदान करता है। 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन में उपलब्ध भुगतान के तरीकों का और विस्तार करने के लिए, यूपीआई सिंगल-ब्लॉक-एंड-सिंगल-डेबिट सुविधा शुरू की गई, जो निवेशकों को लेनदेन को पूर्व-अधिकृत करने और जी-सेक की प्राथमिक नीलामी, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) और खज़ाना बिल (टी-बिल) में बोलियों के संबंध में निर्धारित समय सीमा के अनुसार डेबिट के लिए अपने खातों में धन को ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख गतिविधियां

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.10 वर्ष 2024-25 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) का सकल और निवल

सारणी VII.1: केंद्र सरकार के बाज़ार उधार

(₹ करोड़)

मदें	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधार	11,27,382 (4.8)	14,21,000 (5.3)	15,43,000 (5.3)	14,00,697 (4.2)
निवल बाज़ार उधार (i से iv) [#]	9,29,351 (3.9)	11,74,375 (4.4)	12,28,805 (4.2)	10,81,598 (3.3)
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ [@]	8,63,103	11,08,261	11,80,456	11,62,879
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	45,439	-23,798	20,164	72,713
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	71,252	52,426	15,982	-55,896
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	-50,444	37,487	12,203	-98,098

@: वापसी-खरीद/स्विच के समायोजन के बाद, वर्ष 2024-25 के दौरान निवल बाज़ार उधार ₹9,93,233 करोड़, 2023-24 में ₹12,26,101 करोड़, 2022-23 में ₹11,71,951 करोड़ और 2020-21 में ₹9,29,060 करोड़ रहा।

#: वापसी-खरीद/स्विच को समायोजित किए बिना।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

स्रोत: आरबीआई, केंद्रीय बजट और एमओएसपीआई।

बाज़ार उधार दोनों पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 9.2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत कम रहा। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 12.0 प्रतिशत कम रहा (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.11 वर्ष के दौरान जारी किए गए जी-सेक का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में 28 आधार अंक कम हो गया, जबकि पूरे बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत

कूपन में 4 आधार अंक की कमी आई। प्राथमिक निर्गमों का भारित औसत परिपक्वता और बकाया ऋण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया (सारणी VII.2)।

VII.12 वर्ष 2024-25 के दौरान प्राथमिक डीलरों (पीडी) पर न्यागमन के दो उदाहरण थे, जबकि पिछले वर्ष में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। ₹6,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए सभी बोलियों को स्वीकार नहीं करने का और ₹6,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए ₹1,695 करोड़ रुपये की बोलियों की आंशिक स्वीकृति का एक उदाहरण था।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाज़ार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में प्रतिफल की अंतिम सीमा			वर्ष के दौरान जारी [^]			बकाया स्टॉक [#]	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा [@]	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26
2023-24	6.89-7.39	6.98-7.40	7.07-7.57	7.24	3-50	18.09	12.54	7.29
2024-25	6.61-7.25	6.69-7.19	6.78-7.34	6.96	3-50	20.66	13.24	7.25

@: निर्गम की अवशिष्ट परिपक्वता और आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर।

[^]: स्विच नीलामी को छोड़कर।

[#]: स्विच नीलामी सहित।


स्रोत: आरबीआई।

VII.13 वर्ष के दौरान विभिन्न कारकों जैसे मुद्रास्फीति में गिरावट, मौद्रिक नीति में सहजता की अपेक्षा, राजकोषीय समेकन की निरंतरता, रिज़र्व बैंक के चलनिधि अंतर्वेशन उपाय, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में जी-सेक को शामिल करने के कारण एफपीआई निवेश में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सहजता की शुरुआत से जी-सेक प्रतिफल में कमी आई (अध्याय II का खंड 5 देखें)। कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 में 10-वर्षीय प्रतिफल में 45 बीपीएस की कमी आई (चार्ट VII.1)।

VII.14 वर्ष 2024-25 के दौरान, बाज़ार उधार का लगभग 55.3 प्रतिशत दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से जुटाया गया, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता 10 वर्ष और उससे अधिक थी, जबकि पिछले वर्ष में यह 52.1 प्रतिशत थी (सारणी VII.3)।

खज़ाना बिल (टी-बिल)

VII.15 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) जारी करके पूरा किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, एटीबी (91,182 और 364 दिवसीय) का निवल अल्पकालिक निर्गम पिछले वर्ष के ₹48,349 करोड़ के मुकाबले घटकर ₹ (-)81,281 करोड़ हो गया।



प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.16 वाणिज्यिक बैंक मार्च 2025 के अंत तक 36.4 प्रतिशत के साथ जी-सेक [टी-बिल और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, इसके बाद बीमा कंपनियां (24.3 प्रतिशत), भविष्य निधि (10.6 प्रतिशत) और रिज़र्व बैंक (8.1 प्रतिशत) हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 1.9 फीसदी रही। जी-सेक (टी-बिल और एसजीएस सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट और अन्य शामिल हैं।

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2022-23		2023-24		2024-25	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	2.7	19.0	2.5	16.5	1.9	13.4
5 - 9.99 वर्ष	4.6	32.1	4.8	31.4	4.4	31.3
10-14.99 वर्ष	2.9	20.1	2.8	17.8	2.1	15.5
15 वर्ष और अधिक	4.1	28.8	5.3	34.3	5.6	39.8
कुल	14.2	100.0	15.4	100.0	14.0	100.0

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

प्राथमिक डीलर (पीडी)

VII.17 पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 एकल पीडी (एसपीडी)] रही। पीडी के पास दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करने का अधिदेश है जबकि उनका लक्ष्य टी-बिलों/नकद प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामियों के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करना है। पीडी ने वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 66.7 प्रतिशत और वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 64.2 प्रतिशत का औसत सफलता अनुपात हासिल किया। टी-बिल की नीलामी में पीडी की राशि की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 के दौरान 74.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष में यह 69.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी के लिए जीएसटी सहित पीडी को भुगतान किया गया कमीशन वर्ष 2023-24 के दौरान ₹48.5 करोड़ की तुलना वर्ष 2024-25 में ₹15.8 करोड़ रहा।

अस्थायी दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) [एफआरएसबी 2020 (टी)] योजना


VII.18 वर्ष के दौरान, [एफआरएसबी, 2020 (टी)] जारी करके ₹5,503 करोड़ जुटाए गए; इसमें से ₹346 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक के 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के जरिये जुटाए गए।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.19 केंद्र सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा वर्ष 2024-25 की पहली और दूसरी छमाही के लिये क्रमशः ₹1.5 लाख करोड़ और ₹0.5 लाख करोड़ तय की गई थी। केंद्र सरकार का नकद शेष वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अधिशेष में रहा। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के 24 दिनों की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान 8 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए का सहारा लिया (चार्ट VII.2)।

विदेशी सेंट्रल बैंक (एफसीबी) योजना के तहत निवेश

VII.20 एफसीबी योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वितीयक जी-सेक बाज़ार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से भारतीय जी-सेक में निवेश करता है। इन



संस्थानों की ओर से लेन-देन की कुल मात्रा वर्ष 2024-25 के दौरान ₹730 करोड़ (अंकित मूल्य) रही, जबकि पिछले वर्ष में यह ₹920 करोड़ (अंकित मूल्य) थी।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.21 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा से अधिकांश राज्यों को बाहर करने के लिए 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की बाज़ार उधारी में वृद्धि हुई। राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाज़ार उधार की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 (बीई) में बढ़कर 79 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष 2023-24 (आरई) में 75.5 प्रतिशत थी।

VII.22 वर्ष 2024-25 में राज्यों की सकल बाज़ार उधारी तिमाही संकेतक कैलेंडर में इंगित राशि का 81.9 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 में 835 निर्गम हुए; इनमें से 100 पुनर्निर्गम थे (वर्ष 2023-24 में 782 निर्गम हुए, जिनमें से 49 पुनर्निर्गम थे) [सारणी VII.4]।

VII.23 वर्ष 2024-25 के दौरान एसजीएस निर्गम की भारित औसत निर्दिष्ट कूपन दर पिछले वर्ष के 7.52 प्रतिशत से गिरकर 7.20 प्रतिशत हो गई। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की

सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों का बाजार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृति	8,95,166	8,80,779	11,29,295	11,73,714
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	7,01,626	7,58,392	10,07,058	10,73,310
वर्ष के दौरान मोचन	2,09,143	2,39,562	2,89,918	3,19,965
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	4,92,483	5,18,830	7,17,140	7,53,345
कुल संस्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	78.4	86.1	89.2	91.4
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) [#]	44,10,254	49,29,083	56,46,222	63,99,567

#: उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।
स्रोत: आरबीआई।

तुलनीय परिपक्वता पर एसजीएस निर्गम का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएस) पिछले वर्ष में 31 आधार अंक की तुलना में वर्ष 2024-25 में 30 आधार अंक रहा। वर्ष 2024-25 में, 25 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 वर्ष के अलावा अन्य अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जो 2 से 35 वर्ष तक की थीं। 10-वर्ष की अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड वर्ष 2023-24 में 3 आधार अंक की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4 आधार अंक रहा।

VII.24 वर्ष 2024-25 के दौरान, 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), 13 राज्यों/केंद्र

शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.25 रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीएफ और डब्ल्यूएमए के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय समायोजन की सीमाओं की समीक्षा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की समीक्षा पर समूह और समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) पर कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई (बॉक्स VII.1)। संशोधित एसडीएफ/डब्ल्यूएमए सीमाएं 1 जुलाई 2024 से प्रभावी की गईं।

बॉक्स VII.1

राज्य सरकारों के लिए वित्तीय समायोजन सुविधाओं की समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार, रिजर्व बैंक राज्यों को उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगति से निपटने के लिए अग्रिम देने की तारीख से तीन माह से अनधिक अल्पावधि वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।

वर्तमान में, रिजर्व बैंक से राज्यों को वित्तीय समायोजन सुविधाएं एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी के रूप में उपलब्ध हैं। एसडीएफ

राज्यों को सीएसएफ/जीआरएफ/नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में उनके निवेश के बदले रियायती दरों¹ पर उपलब्ध एक संपार्श्विक सुविधा है। डब्ल्यूएमए और ओडी असंपार्श्विक सुविधाएं हैं जो एसडीएफ के लिए लागू दरों से अधिक दरों² पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों को उपलब्ध वित्तीय समायोजन सुविधाओं का लाभ पहले एसडीएफ से लिया जा सकता है जिसके बाद डब्ल्यूएमए और ओडी आते हैं।

(जारी)

¹ सीएसएफ/जीआरएफ में निवेश के बदले एसडीएफ रेपो दर से 200 बीपीएस कम पर उपलब्ध है। जबकि एटीबी में निवेश के बदले एसडीएफ रेपो दर से 100 बीपीएस कम पर उपलब्ध है।

² अग्रिम भुगतान की तिथि से 3 माह तक बकाया डब्ल्यूएमए अपनी पूर्व-निर्धारित सीमा तक प्रचलित रेपो दर पर उपलब्ध है, जबकि अग्रिम भुगतान की तिथि से 3 महीने से अधिक बकाया डब्ल्यूएमए रेपो दर से 100 अधिक पर उपलब्ध है। डब्ल्यूएमए सीमा से परे ओडी प्रचलित रेपो से 200 बीपीएस अधिक पर उपलब्ध है और यदि ओडी डब्ल्यूएमए सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक है तो प्रचलित रेपो दर से 500 बीपीएस अधिक पर उपलब्ध है।

6 जुलाई 2023 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 33वें सम्मेलन के दौरान, सदस्यों ने महामारी के बाद व्यय में वृद्धि के कारण डब्ल्यूएमए सीमाओं में संशोधन का अनुरोध किया। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने नवीनतम व्यय आंकड़ों के आधार पर राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमाओं की समीक्षा करने के लिए चुनिंदा राज्य वित्त सचिवों के एक समूह का गठन किया। समूह ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण किया और सुधीर श्रीवास्तव समिति³ द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के आधार पर, राज्यों के लिए कुल डब्ल्यूएमए सीमा को ₹47,010 करोड़ की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर ₹60,118 करोड़ करने की सिफारिश की। समूह की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों और यूटी की डब्ल्यूएमए सीमाओं को संशोधित किया। इसके अलावा, सीएसएफ और जीआरएफ पर कार्य समूह⁴ की सिफारिशों के आधार पर, सीएसएफ/जीआरएफ/एटीबी में

उनके निवेश के प्रति राज्य सरकारों की एसडीएफ सीमाएं निर्धारित करने की पद्धति को भी संशोधित किया गया। सीएसएफ/जीआरएफ के तहत किए गए निवेशों के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली एसडीएफ की संशोधित अधिकतम सीमा निम्नलिखित के 50 प्रतिशत से कम होगी (i) दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की अंतिम तिथि को निधियों का बकाया शेष, और (ii) सीएसएफ/जीआरएफ में धारित वर्तमान शेष। एटीबी में रखे गए निवेशों के लिए, एसडीएफ की अधिकतम सीमा निम्नलिखित के 50 प्रतिशत से कम होगी (i) दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की अंतिम तिथि को एटीबी में बकाया शेष (91/182/364 दिन), और (ii) वर्तमान एटीबी शेष।

स्रोत: आरबीआई।

VII.26 किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा रखा जाने वाले आवश्यक न्यूनतम से अधिक दिन के अंत में अधिशेष नकदी शेष 14 दिनों के आईटीबी में स्वतः निवेश किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के अंतर्गत प्राथमिक नीलामियों के माध्यम से एटीबी में निवेश करने की भी अनुमति दी गई है। आईटीबी में बकाया निवेश वर्ष 2024-25 के दौरान कम हुआ (सारणी VII.5)।

VII.27 पांच राज्यों के लिए नकदी और ऋण प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए। इसके

अलावा, जनवरी 2025 में पुणे स्थित रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में दो दिवसीय सीबीपी भी आयोजित किया गया, जिसमें 14 राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया।

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)/गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) और बजट स्थिरीकरण निधि (बीएसएफ) में निवेश

VII.28 रिजर्व बैंक राज्यों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं - सीएसएफ और जीआरएफ का प्रबंधन करता है। वर्तमान में, 25 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने सीएसएफ की स्थापना की है, जबकि 21 राज्य और एक केंद्र शासित

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च को बकाया				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	2,05,230	2,16,272	2,12,758	2,66,805	1,88,072
एटीबी	41,293	87,400	58,913	51,258	88,781
कुल	2,46,523	3,03,672	2,71,671	3,18,063	2,76,853

स्रोत: आरबीआई।

³ राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने 24 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक को रिपोर्ट सौंपी।

⁴ सीएसएफ/जीआरएफ की समीक्षा के लिए कार्य समूह का गठन 7 जुलाई 2022 को आयोजित 32वीं राज्य वित्त सचिवों की बैठक के दौरान किया गया था।

प्रदेशों ने जीआरएफ की स्थापना की। सीएसएफ/जीआरएफ के अलावा, रिज़र्व बैंक ओडिशा राज्य सरकार के लिए बीएसएफ का प्रबंधन भी करता है। मार्च 2025 के अंत तक सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹2,40,348 करोड़ और ₹16,019 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह क्रमशः ₹2,06,441 करोड़ और ₹12,259 करोड़ था।

3. वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VII.29 वर्ष 2025-26 के दौरान, ऋण प्रबंधन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्य के साथ संचालित करने का प्रस्ताव है:

- आरबीआई 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल/एप्लिकेशन के तहत खुदरा निवेशकों के लिए बोली और भुगतान विकल्पों का विस्तार करना; और

- डी-मैट खातों और रिटेल डायरेक्ट गिल्ट(आरडीजी) खातों में जी-सेक के निर्बाध अंतरण के लिए एपीआई सुविधा का विस्तार।

4. निष्कर्ष

VII.30 वर्ष के दौरान, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के बाज़ार उधार सफलतापूर्वक पूरे किए गए। वर्ष 2025-26 के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों और उभरती बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बाज़ार उधार कार्यक्रम का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना जारी रखेगा।